

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

अतारंकित प्रश्न संख्या : 950

22 , 2019 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

डॉक्टरों पर हमले

950. श्री डी०एन०वी० सथिलकुमार एस०:

श्री विनायक भाऊराव राऊत:

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

श्री हेमन्त पाटिल:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे कि:

- (क) क्या सरकार ने ड्यूटी पर कायरत किसी डॉक्टर पर हुए जानलेवा हमले को घटना को ओर ध्यान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) डॉक्टरों और चिकित्सा संस्थानों के खिलाफ परिचारकों और उपचाराधीन रोगियों द्वारा बढ़ती हिंसा के क्या कारण ह और इस संबंध म क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए ह;
- (ग) क्या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार से स्वास्थ्य पेशेवरों के खिलाफ हिंसा को जांच के लिए एक कद्रीय कानून बनाने का अनुरोध किया है;
- (घ) यदि हां, तो इस पर सरकार को क्या प्रतिक्रिया है;
- (ङ) क्या सरकार ने निजी सुरक्षार्कामियों को नियुक्ति को है और डॉक्टरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें अस्पतालों म तैनात किया है;
- (च) यदि हां, तो देश के विभिन्न सरकारी अस्पतालों म ऐसे निजी सुरक्षार्कामियों को संख्या कितनी है; और
- (छ) ड्यूटी के दौरान डॉक्टरों को पयाप्त सुरक्षा प्रदान करने और उन्हें हिंसा से बचाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए ह?

ट

स्वस्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री श्वे )

(क) तथा (ख): जी, हां। देश के विभिन्न भागों म ड्यूटी के दौरान डॉक्टरों पर हमले के कारण डॉक्टरों द्वारा हड़ताल के कुछ मामले सरकार के सामने आए ह।

कद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को ड्यूटी पर डॉक्टरों को सुरक्षा के विषय म शीघ्र कदम उठाने हेतु एडवाइजरी जारी की है, जिसम निम्नलिखित शामिल ह:

- i. संवेदनशील अस्पतालों को सुरक्षा पदनामित तथा प्रशिक्षित फोस द्वारा को जाएगी,
- ii. विशेष रूप से कैजुअलटी, आपातकालीन तथा उन क्षेत्रों म जहां अधिक रोगी आते ह, वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं तथा 24 घंटे प्रभावी संप्रेषण/ सुरक्षा उपकरणों सहित तुरंत प्रतिक्रिया दलों को नियुक्त किया जाए।
- iii. निगरानी तथा शीघ्र प्रतिक्रिया हेतु उचित उपकरणों सहित कद्रीकृत नियंत्रण कक्ष को स्थापना करना
- iv. अवांछनीय व्यक्तियों को प्रविष्टि पर प्रतिबंध
- v. हमलाकताओं के विरुद्ध संस्थान को ओर से एफआईआर
- vi. प्रत्येक अस्पताल तथा पुलिस स्टेशन म डॉक्टरों को सुरक्षा वाले कानून को डिस्प्ले करना
- vii. चिकित्सा संबंधी असावधानी को निगरानी हेतु नोडल अधिकारी को नियुक्ति
- viii. अस्पतालों/ प्राथमिक स्वास्थ्य कद्यों म डॉक्टरों तथा पैरा मेडिकल स्टॉफ के रिक्त पदों को शीघ्रता से भरा जाए ताकि डॉक्टरों पर अधिक भार/ तनाव को कम किया जा सके तथा वैश्विक डॉक्टर रोगी अनुपात को बनाए रखा जा सके।
- ix. बड़े तथा मैट्रो शहरों को तुलना म दुगम/ दूरस्थ क्षेत्रों म काम करने वाले डॉक्टरों को बेहतर कैरियर के दृष्टिकोण से बेहतर अवसंरचना सुविधाएं तथा चिकित्सा उपकरण तथा अधिक मौद्रिक प्रोत्साहन प्रदान को जाएं, आदि।

(ग) तथा (घ): जी, हां। आईएमए ने स्वास्थ्य परिचया पेशेवरों के विरुद्ध हिंसा को जांच हेतु एक कद्रीय कानून को लागू करने हेतु सरकार से अनुरोध किया है। सरकार इस मांग से सहमत है।

(ड) तथा (छ): जी, नहीं। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, 'स्वास्थ्य' तथा 'कानून व्यवस्था' राज्य का विषय है। इसलिए, संबद्ध राज्य/ संघ शासित राज्य सरकारों को अपने क्षेत्र म इस प्रकार को घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए।

\*\*\*\*\*